



Research Article

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति

मिनाक्षी देवी ^{1*}, डॉ. नहीद अहमद ²

¹ पी.एच.डी. रिसर्च स्कॉलर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, बड़ी, सोलन, हिमाचल प्रदेश, भारत

² असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, बड़ी, सोलन, हिमाचल प्रदेश, भारत

Corresponding Author: मिनाक्षी देवी *

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17768079>

सारांश

यत्रनार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं यह श्लोक केवलनारी जाति की प्रशंसा करने के लिए नहीं है बल्कि ये एक कठोर सत्य है जिसे महिलाओं के अपमान करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए और जो मात्र शक्ति का आदर करते हैं उनके लिए ये शब्द अमूल्य समान है। प्रकृति का ये नियम पूरी सृष्टि में, हर एक समाज, एक परिवार, देश और मनुष्य जाति पर लागू होता है।

किसी भी काल, देश, समाज के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा देवी स्वरूप हुआ है, अपितु वर्तमान में महिलाओं की स्थिति देखने के बाद यह प्रश्न उठता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, उसी के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 15-07-2025
- Accepted: 28-08-2025
- Published: 30-08-2025
- IJCRM:4(4); 2025: 705-707
- ©2025, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

मिनाक्षी देवी, डॉ. नाहिद अहमद. प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(4):705-707.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: प्राचीन भारतीय समाज, महिला अधिकार, लैंगिक भूमिकाएँ, धर्मग्रंथ और नारी, सामाजिक स्थिति

प्रस्तावना

इस लेख से ये दर्शाने की कोशिश की गई कि कैसे कालानुक्रमिक रूप से महिलाओं की स्थिति में गिरावट समाज में होती गई। भारतीय समाज में किस काल में महिलाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया गया और उससे किस प्रकार की उम्मीद रखी गई इस आलेख में दर्ज करने का प्रयास किया गया है। समकालीन विश्व में नारीवाद तथा

जेंडर स्टडीज़ को लेकर काफी शोध किया जा रहा है। कई बार महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए हम पश्चिम की ओर देखते हैं, परंतु आवश्यकताइस बात की भी है कि हम पहले अपने प्राचीन ग्रंथों को भी देखें प्राचीन धार्मिक तथा राजनैतिक ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने के बाद इस बात का पता लगाने का प्रयास

करें कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी। इसके लिए हमें भारतीय धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद् तथा कौटिल्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र का सहारा लिया जा सकता है। वेदों में स्त्री को पुरुष का पूरक माना गया।

प्राचीन काल में भारतीय समाज में स्त्री को बड़ा सम्मान प्राप्त था। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था। पुरुष और स्त्री वर्गों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति तथा प्रत्येक सामाजिक धार्मिक कार्य में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वैदिक काल में पत्नी को पुरुष को ज्ञान, बल तथा जीवन का साझीदार माना जाता था। इसीलिए वैदिक काल में स्त्रीशिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया गया। वैदिक काल में स्त्रियाँ, बुद्धि व शिक्षा में अग्रणी थीं। महिलाओं को वेदोका अध्ययन करने व वेदों की रचना करने का पूर्ण अधिकार था। यजुर्वेद के अनुसार इस काल में कन्या का उपनयन संस्कार होता था। वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी क्योंकि स्त्रियों को भी धर्म, साहित्य के साथ साथ गायन, नृत्य, संगीत, काव्य रचना तथा बाद विवाद की शिक्षा दी जाती थी। एक पत्नी विवाह ही सामान्य प्रचलित थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी प्रथा का प्रचलन नहीं था।

लड़कियों का विवाह युवावस्था में होता था। वे अपना जीवन साथी चुनने में स्वतंत्र थीं। उदाहरण के लिए रामायण में सीता का स्वयंवर, महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर।

ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं, जो पर्याप्त शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोक हैं जो स्त्रियों ने लिखे हैं।

गार्गी वाचकनवी वैदिक साहित्य में उन्हें महानप्राकृतिक दार्शनिक रूप से सम्मानित किया गया है। वह वेदोके प्रसिद्ध प्रतिपादक और ब्रह्मवादिनी के रूप में जानी जाती है। ब्राह्मणउपनिषद के छठे और आठवें में उनका नाम प्रमुख है। क्योंकि मैं ब्रह्म यज्ञ में भाग लेती हूँ जो कि राजा जनकद्वारा आयोजित एक दार्शनिक बहस है, जिसमें गार्गी वाचकनवी और ऋषि याज्ञवल्क्य बीच बाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी अंत में याज्ञवल्क्य जिसमें गार्गी से हारे थे।

रामायण में रानी कौशल्या को मंत्रवेद कहा जाता है अर्थात् वह जिसे वेदों के सारे मंत्रों का ज्ञान हो। पूर्व वैदिक काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती थीं जिन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था जिनके जीवन का अधिकांश समय शिक्षा ग्रहण करने को दिया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के शिक्षा तथा स्थिति दोनों में परिवर्तन हुआ। उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक स्थिति में प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। इस काल में महिलाओं की स्थितियों में गिरावट देखने को मिलती है। समाजमें कई प्रकार की विसंगतियाँ का प्रचलन हुआ। कन्या के जन्म को अशुभ माने जाने लगा। इस बात के लिए विविध धार्मिक कृत्यों का संपादन करना आरंभ कर दिया गया कि कन्या का जन्म न हो धर्म सूत्रों ने बाल विवाह के निर्देश दे दिए। विधवापुनर्विवाह को निषेध कर दिया गया। उन्हें राजनीतिक तथा धर्म संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गयी थी।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

यह अवधारणा इस काल में उचित नहीं लग रही थी। इस काल में वैदिक कर्मकांड की जटिलता बढ़ती गई और याज्ञिककार्यों में शुद्धता एवं पवित्रता के नाम पर आडम्बर बढ़ता गया जिसके फलस्वरूप स्त्रियों को यज्ञ कार्यों से अलग करने का उपक्रमण किया जाने लगा उन्हें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए उपयुक्त नहीं माने जाने लगा। अतः वैदिक साहित्यों को शुद्ध बनाए रखने के लिए स्त्री को अलग रखने का नियम बना। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। कुछ ही स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है।

ऐतरेयब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है- की पुत्री समस्त दुखों का कारण है।

मैत्रयणीय संहिता इसमें कहा गया है कि शूरा अर्थात् शराब पासा अर्थात् जुआ के समान स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई है। इसी प्रकार यहीं से स्त्रियों की दासता की शुरुआत होती है। सूत्र काल में आकर इस स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। उन पर कई प्रकार के बंधन लगाये गए। जन्म से मृत्यु तक उनके पुरुषों के नियंत्रण के लिए निर्देशित किया गया। कन्या को धरोहर के रूप में माने जाने लगा जो कि पिता के लिए एक समस्या के रूप में समझी जाने लगी। स्त्रीके साथ भोजन करने वाले पुरुष को खराब समझा जाने लगा। दासी के रूप में उन्हें गृहस्थ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

सूत्रकाल में नारियाँ सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी पति, पत्नी के लिए देवता विवाह उसके जीवन का एकमात्र संस्कार हैं आदि संकीर्ण विचारधाराओं ने जन्म ले लिया। इसमें स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध इन शब्दों में मिलता है स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करता है, यौवन में पति उसकी रक्षा करता है तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। कन्या का उपनयन संस्कार बंद किया गया कन्या के विवाह की आयु भी घटा दी गई, जिसके कारण कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया।

पाँचवीं सदी से बारहवीं सदी तक स्त्रियों की दशा निरंतर पतनोन्मुखी हो गई। उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। उसकी स्थिति शुद्ध जैसी होगई इस युग में विवाह की आयु और कम कर दी गई आठ वर्ष से वर्ष की आयु को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। राजपूत वंशों में कन्या के विवाह 14, 15 वर्षों में होते थे, वहीं कन्या को संरक्षिका के रूप में कार्य करना पड़ता था। अतः उन्हें प्रशासनिक कार्यों एवं सैनिक विषयों की शिक्षा भी दी जाती। इससे उनके विवाह की आयु में कुछ वृद्धि हुई। बारहवीं सदी तक कुलीन परिवारों की कुछ कन्याएं साहित्य की शिक्षा ग्रहण करती थी, किंतु मुस्लिम सत्ता के साथ ही स्त्री शिक्षा पूर्ण होते हास हो गई। 10 वर्ष की आयु तो विवाह के लिए आदर्श थीके पूर्व किसी भी प्रकार की शिक्षा संभव नहीं रह गई। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ जिससे कन्याओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया। आठवीं शताब्दी तक विधवाओं के मुंडन की प्रथा का प्रचलन हो गया। देश के कुछ भागों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी जिसके कुमारी कन्याएं नृत्य गान के लिए मंदिरों को समर्पित की जाती थी। प्रारंभ में इसका स्वरूप भी विषुद रूप से धार्मिक था परंतु बाद में यह महिलाओं के देह शोषण का माध्यम बन गया। गुप्त काल व उसके बाद के समय में

विवाहकी आयु 12 वर्ष स्वीकृत हो गई। विवाह की आयु पुरुष के लिए 16 वर्ष के लिए 12 वर्ष थी। स्वयंवर अपनी लोकप्रियता को खो रहा था। व्यस्कविवाह केवल राज परिवारों तक ही सीमित था। महिलाओं को नृत्य, संगीत, वाद्य, काव्य और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये भी केवल उच्चकुलों की स्त्रियों तक ही सीमित थी। आम लोगों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह का मूल कारण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों को माना जाता है। याज्ञवल्क्यस्मृतिकन्या के लिए उपनयन संस्कार तथा वेदाध्ययन को पूरी तरह से निषेध करती हैं। अशिक्षित होने के कारण ये आर्थिक रूप से पूरी तरह से पुरुष वर्ग पर निर्भर हो गयी। गुप्त काल में पहली बार घूंघट शब्द का उल्लेख मिलता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग की महिलाएं घर के बाहर निकलते समय मुँह ढक कर चलती थी, लेकिन गुप्तकाल में परदाप्रथा का कोई सामान्य प्रचलन नहीं मिलता।

सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हो गई थी। सती प्रथा का पहला स्मारक एरण अभिलेख 420 ईस्वीका है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भानु गुप्ता का एरण अभिलेख से हमेशा सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त नरेश भानुगुप्त था। मित्र गोपराजहणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मरी थी। हर्षचरित्र से पता लगता है कि प्रभाकरवर्धन की पत्नी यशोमति अपने पति की मृत्यु के पूर्व से ही सती हो गई थी। राज्यश्री भी चिंता बनकर चलने जा रही थी, किंतु हर्ष ने उसे बचा लिया। नेपाल की रानी राज्यवति के भी सती होने का उल्लेख मिलता है।

इसके बाद धर्मशास्त्र काल में समाज में स्त्रियों का पतन होना अनिवार्य हो गया है। प्राचीन काल के गौरव में समाज के निर्माण का श्रेय स्त्री को दिया जाता है।

संदर्भसूची

1. ऋग्वेद. मंडल 10, सूक्त 109.
2. ऋग्वेद. मंडल 10, सूक्त 39-40.
3. ऋग्वेद. मंडल 10, सूक्त 95.
4. मनुस्मृति. अध्याय 3, श्लोक 55.
5. याज्ञवल्क्य स्मृति. अध्याय 1, श्लोक 73-75.
6. कौटिल्य. अर्थशास्त्र. पुस्तक 3, अध्याय 3.
7. उपाध्याय दयानंद. प्राचीन भारत में नारी.
8. आचार्य चंपूपति. नारी और वैदिक संस्कृति.
9. आल्टेकर ए.एस. हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति.
10. सिन्हा के.एस. प्राचीन भारत में महिलाएँ.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.